कार्यालय जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

प्रशासनिक आदेश

अपर जिलाधिकारी–प्रशासन,बुलन्दशहर के पत्रांक–4410/न्याय सहायक/कोरोना वायरस/2020 दिनाक 01 सितम्बर, 2020 के द्वारा सूचित किया गया है कि मुख्य चिकित्साधिकारी के पत्रांक सी0एम0ओ0/कोविड–19/2020 दिनांक 01.9.2020 के अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि सिविल कोर्ट अनूपशहर के कर्मचारियों की रिपोर्ट दिनांक 01.9.2020 को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण सिविल कोर्ट अनूपशहर को 24 घन्टे के लिये सैनिटाईज कराने के उपरान्त परिसर बन्द करने का सुझाव दिया है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 1117/LXXXVII –सी0पी0सी0/ई0कोर्टस/इलाहाबाद दिनांकित 03.06.2020 के अनुपालन में केवल कल दिनांक 02.9.2020 को बाह्य न्यायालय अनूपशहर (बुलन्दशहर) सैनेटाईजेशन कराने व आवश्यक कार्यवाही हेतु सुरक्षा की दृष्टि से बन्द रहेगा तथा दिनांक 03.9.2020 को न्यायालय यथावत खुलेंगे।

सर्व सम्बन्धित सूचित हो।

01.09.2020

दिनांकः 01.9.2020

(डा0 अजय कृष्ण विश्वेश)
जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त पीठासीन अधिकारी, बाह्य न्यायालय अनूपशहर जिला बुलन्दशहर।
2. अध्यक्ष/सचिव बार एसोशियेशन बाह्य न्यायालय अनूपशहर जिला बुलन्दशहर।
3. डिप्टी नाजिर बाह्य न्यायालय अनूपशहर जिला बुलन्दशहर।
4. सिस्टम आफिसर जनपद न्यायालय बुलन्दशहर की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. समस्त कर्मचारी बाह्य न्यायालय अनूपशहर जिला बुलन्दशहर।
6. जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।

01/09/2020

जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।